महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail: academicmgsu@gmail.com

क्रमांक : प..07( )/मगसिविबी/शैक्ष./2016/ 23776-24146 दिनांक : 27-8-16

श्रीमान् प्राचार्य,

....

....

....

विषय : सम्बद्धता शर्तो की पालना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।
संदर्भ : प्रबन्ध मण्डल की 27 वीं बैठक दिनांक 16–07–2016 के विनिर्णय संख्या 338 की (बिन्दु संख्या 325) की पालना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित विनिर्णिय के क्रम में लेख है कि आपके महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शर्तो यथा योग्यताधारी प्राचार्य/व्याख्याता, भूमि–भवन, एण्डोमेंट फण्ड आदि की पालना नही करने के कारण प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय पर शास्ति आरोपित की गई थी। विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार समिति का गठन कर विभिन्न महाविद्यालयों के अनुरोध पर पुनर्विचार किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पर प्रबन्ध मण्डल की 27वीं बैठक दिनांक 16–07–2016 पर विस्तृत विचार –विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समस्त महाविद्यालयों को 31 दिसम्बर, 2016 तक सम्बद्धता शर्तो की पालना सुनिश्चित करनी होगी। 31 दिसम्बर, 2016 तक सम्बद्धता शर्तो की पालना सुनिश्चित करने की शर्त पर ही प्रबन्ध मण्डल द्वारा सत्र 2012–13 से सत्र 2015–16 तक के लिए आरोपित शास्ति पर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

अतः प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की पालना में चेतावनी पत्र जारी करते हुए महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त सम्बद्धता शर्तो की पालना सुनिश्चित कर आवश्यक दस्तावेज विश्वविद्यालय में जमा करावे। उपरोक्त अनुपालना के अभाव में प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

भवदीय,

कुलसचिव

क्रमांक : प..07( )/मगसिविबी/शैक्ष./2016/ दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :–.

3. निजी सचिव–कुलपति, महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. निजी सहायक–कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. प्रभारी अधिकारी–विश्वविद्यालय वेबसाइट को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करावे।

उप कुलसचिव (शैक्ष.)